न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –43/2019

दायर दिनांक – 08.09.2021

निर्णय दिनांक – 27.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021/104

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी गण
1. श्री भागचन्द पुत्र श्री छोटूराम, जाति भांबी निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर व अन्य जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 74 के खसरा नम्बरान 2376/3094, 2379/3093, 2393/3152 कुल रकबा 1.0161 हैक्ट. आराजी वर्किंग नक्शा ट्रेस में दर्शित स्थान के अनुसार ही वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2173 दिनांक 25.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:31 IST
Reason: SelfAttested

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

किया कि "ग्राम देवनगर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक व हाल खसरों का मिलान निम्नानुसार है।

साबिक		हाल	
ख.न.	क्षैत्रफल	ख.न.	क्षैत्रफल(हैक्ट)
1227/1894	10 बीघा / 1.62 हैक्टेयर	2379/3093 2379/3094 2393/3152	0.20 1.15 0.27
1227/1893	10 बीघा / 1.62 हैक्टेयर	2377 2378 2376/3092 2376/3360	0.01 0.35 0.25 0.09

वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 74 में दर्ज खसरा संख्या 2376/3094 रकबा 0.6461 हैक्ट. खसरा नम्बर 2379/3093 रकबा 0.10 हैक्ट. खसरा नम्बर 2393/3152 रकबा 0.27 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.0161 हैक्टेयर भागचन्द पुत्र छोटूराम हिस्सा पूर्ण जाति भांबी सा. बांसेली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमि आवाप्ती से खसरा संख्या 3601/3094 रकबा 0.5439 खसरा संख्या 3600/3093 रकबा 0.10हैक्ट. कि भूमि खाता संख्या 805 में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम देवनगर के हाल खसरा नम्बर 2376/3094, 2379/3093, 2393/3152, 3601/3094, 3600/3093 जो वर्तमान नक्शा संवत् 2038–39 सन् 1981–82 में दर्ज है, का साबिक नक्शा सन् 1970–71 में दर्ज खसरा संख्या 1227/1894 का मिलान तुलना करने पर भिन्नता परिलक्षित होती है। अतः वादी का कथन सत्य है साबिक नक्शे व हाल नक्शे में भिन्नता है। ग्राम देवनगर के साबिक नक्शे व हाल नक्शे का तुलना/मिलान करते है तो उक्त खसरा नम्बरान के आस–पास के समस्त खसरा नम्बरान की आकृती में वृहद स्तर पर भिन्नता परिलक्षित होती है जिसके लिए उपरोक्त प्रभावित क्षेत्र के व्यापक भू–सर्वे की आवश्यकता है। वर्तमान में तहसील पुष्कर में सर्वे/रिसर्वे की संक्रिया प्रक्रियाधीन हो चूकी है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष अनुशंषनीय नहीं है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम देवनगर के साबिक नक्शे व हाल नक्शे का तुलना/मिलान करते है तो खसरा नम्बरान 2376/3094, 2379/3093, 2393/3152 के आस–पास के समस्त खसरा नम्बरान की आकृती में वृहद स्तर पर भिन्नता परिलक्षित होती है जिसके लिए उपरोक्त प्रभावित क्षेत्र के व्यापक भू–सर्वे की आवश्यकता है। वर्तमान में तहसील पुष्कर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:31 IST
Reason: SelfAttested

27.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

सर्वे/रिसर्वे की संक्रिया प्रक्रियाधीन हो चूकी है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष अनुशंषनीय नहीं है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। **राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के** साबिक नक्शे व हाल नक्शे का तुलना/मिलान करते है तो खसरा नम्बरान **2376/3094, 2379/3093, 2393/3152** के आस—पास के समस्त खसरा नम्बरान की आकृती में वृहद स्तर पर भिन्नता परिलक्षित होती है जिसके लिए उपरोक्त प्रभावित क्षेत्र के व्यापक भू—सर्वे की आवश्यकता है। वर्तमान में तहसील पुष्कर में सर्वे/रिसर्वे की संक्रिया प्रक्रियाधीन हो चूकी है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वांछित अनुतोष उचित नहीं होने के **कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

27-10-21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:44:31 IST
Reason: SelfAttested